क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		रामचन्द बनाम अचरोल मुकदमा नं. 68/2022	
	23/12/24	पत्रावली पेश। वकील वादी उप. प्रतिवादी को सूचित की गई उप. नहीं। वास्ते बहस अंतिम उनी 17/1 वास्ते आदेश दिनांक 31/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	
	31/12/24	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 16/01/25 को पेश हो।	
	16/01/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं वकील वादी की पूर्व में की गई बहस पर मनन पश्चात् वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिशल है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 16/01/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	